न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 40/2014 (2014/00026)

अनवान

1. रामदेव पुत्र बीजा जाति भॉम्बी निवासी 321, रामगंज वार्ड नं0 14, 36 तहसील एवं जिला अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

1. सुगनी पुत्री बीजा (मृतक) जरिये वारिसान
   1/1 ताराचन्द पुत्र स्वर्गीय प्रताप जाति भाम्बी निवासी डूमाडा तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर। ..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री राजेन्द्र सिंह बरार — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. श्री हेमराज राठौड — राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 3.10.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सराधना तहसील अजमेर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 2388 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा (0.37 हैक्टयर)चाही, 2739 रकबा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी (0.04 है0) गैर मुमकिन चाह एवं खसरा संख्या 2399 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा (0.49 है0) बारानी तृतीय कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा 10 बिस्वांसी (0.90 है0) अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता बींजा वल्द बालू की खातेदारी की आराजियात रही है। जिनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए मृतक बीजा के अन्य प्रथम श्रेणी के वारिसान को दरककिनार करते हुए नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 13.6.1992, के द्वारा उक्त वर्णित आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। आक्षेपित नामान्तरकरण से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। तथा अधिनस्थ न्यायालय का संबधित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जरिये अभिभाषक तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित 151 सीपीसी पर उभय पक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज (परिवार कार्डस) रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश पारित किये गये।

दौराने बहस सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि आक्षेपित नामान्तरकरण दिनांक 13.6.1992 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.10.2014 को रूपयो की आवश्यकता होने पर कृषि ऋण प्राप्त करने की गरज से राजस्व रेकार्ड देखने पर हुई। जानकारी पर आक्षेपित नामान्तरकरण की प्रति हेतु आवेदन करने पर नकल दिनांक 27.10.2014 को उपलब्ध करवाई गई। तत्पश्चात आवश्यक राशि की व्यवस्था कर विधिक सलाह प्राप्त कर बिना अतिरिक्त विलम्ब किये अपील प्रस्तुत की गई। चूंकि आक्षेपित नामान्तरकरण विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्यों को छुपा कर दर्ज करवाया गया है। इसलिए मियाद अधिनियम के प्रावधान मौजूदा प्रकरण पर लागू

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

नहीं होतें है। इस प्रकार के विधि विरूद्ध एवं क्षैत्राधिकार विहिन आदेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आपत्ति प्रार्थना पत्र तथ्यों को अपील बहस के साथ माने जाने के निवेदन के तहत उपस्थित उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील कथनों को दोहराते हुये मुख्यतः निवेदन किया कि ग्राम सराधना तहसील अजमेर स्थित विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता बींजा वल्द बालू की खातेदारी की आराजियात रही है। जिनकी मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सुगनी देवी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए मृतक बीजा के अन्य प्रथम श्रेणी के वारिसान को दरककिनार करते हुए जरिये नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 13.6.1992 उक्त वर्णित आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। मृतक बींजा के परिवार के सजरे के मुताबिक सुगनी (पुत्री) फौत पुत्र ताराचन्द, पुत्री सुगनी के अतिरिक्त बींजा के एक पुत्र रामदेव तथा दो पुत्रियां केसर एवं मनभरी थी। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार की मृत्यु होते ही उसके वारिसान का हित विधि अनुरूप खातेदार की सम्पति में सृजित हो जाते है। इसी अनुरूप मृतक बींजा की उक्त खातेदारी आराजी में चारो वारिसान का बहिस्सा बराबर हक सृजित होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक के वारिसान बाबत जांच किये बिना विधि विरूद्ध रूप से आक्षेपित नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो पृथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी जारी परिवार कार्ड वर्ष 2000, 2001–2010, 2012,13–2017–2018 में अपीलान्ट के पिता नाम बींजा दर्ज है, जिससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट मृतक बींजा का विधिक वारिस है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मुख्यतः RBJ 2009 Page 108, RBJ 1998 Page 487, RBJ 2013 Page 275, SSC 2016(2) Head Note F Page 123, AIR 1987(sc) page 1353 के न्यायिक दृष्टान्त उद्धत करवाते हुए अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 13.06.1992 निरस्त कर मृतक बींजा की विरासत समस्त वारिसान के नाम राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से खोलने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 द्वारा निवेद किया कि बींजा पुत्र बालू की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी जरिये विरासती नामान्तरकण संख्या 112 दिनांक 15.10.85 के द्वारा श्रीमती बरजी पत्नी स्व0 श्री बींजा के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात श्रीमती बरजी पत्नी स्व0 श्री बींजा द्वारा श्रीमती सुगनी देवी पुत्री स्व0 श्री बींजा पत्नी स्व0 श्री प्रताप के हक में उक्त विवादित आराजियात बाबत एक वसीयतनामा दिनांक 23.8.1986 को निष्पादित किया जिसका पंजीयन उप पंजीयक अजमेर द्वारा दिनांक 6.11.1986 को किया गया। उक्त पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर ही आक्षेपित नामान्तरकरण के जरिये प्रश्नगत आराजियात श्रीमती सुगनी के नाम अंकित की गई। इस कारण उक्त पंजीकृत वसीयतनामे को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत आक्षेपित नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता। अपनी बहस जारी रखते वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि श्रीमती सुगनी देवी अपने जीवन पर्यन्त विवादित कृषि भूमि पर काबिज काश्त रही तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात जरिये विरासती नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.5.2014, अपीलान्ट के मौजूदा अपील दायरी से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 श्री ताराचन्द एवं स्व0 श्रीमती सुगनी देवी के अन्य विधिक वारिसान के नाम दर्ज की गई।

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 478 दिनांक 13.6.1992 पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 21 दिनांक 26.5.2014 में समायोजित हो चुका है। अपीलान्ट को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी उपरान्त भी स्व0 श्रीमती सुगनी देवी के अन्य विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार संयोजित किये बिना प्रस्तुत अपील विधिक रूप से अपूर्ण एवं त्रूटिपूर्ण होने से काबिले खारिज है। अपीलान्ट स्व0 श्री बींजा पुत्र श्री बालू का ना तो जायन्दा पुत्र है तथा ना ही उनके परिवार से किसी प्रकार का कोई वास्ता सरोकार है। इन तथ्यों का उल्लेख स्व0 श्रीमती बरजी पत्नि बींजा द्वारा अपनी जायन्दा पुत्री सुगनी के हक में निष्पादित पंजीकृत वसीयत भी किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत भी अपीलान्ट को ही साबित करना है कि वह मृतक बींजा वल्द बालू का पुत्र है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 द्वारा यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रकिया है जिसके तहत किसी भी व्यथित पक्षकार के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट नियमित वाद के जरिये अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाये बिना प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त किये जाने का अधिकारी नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आर.आर.टी. 2017(2) पेज 1355–1358, आर.आर.टी. 2016–17 (Supp.) पेज 721, आर.आर.टी. 2013(2) पेज 1054–1057, आर. आर.टी. 2014–15 (Supp.) पेज 459–469 के उद्धरण उद्धत करवाये।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पंजीकृत वसीयतनामें के आधार पर आक्षेपीय नामान्तरकरण तस्दीक कर विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 की माता सुगनी देवी के नाम तथा सुगनी देवी की मृत्यु उपरान्त जरिये विरासती नामान्तरकण प्रश्नगत आराजीयात उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये तर्कों एवं नजीरों के अन्तर्गत ऐसे कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुए है जो पंजीकृत वसीयत के आधार पर तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरकरण को नियम विरूद्ध साबित करता हों। अपीलान्ट, विवादित आराजियात के मूल रिकार्डेड खातेदार बींजा पुत्र बालू के पुत्र होने के बाबत कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य भी हमारे समक्ष प्रकट नहीं आये है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय के आक्षेपित नामान्तरकरण में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार स्पष्ट नही होने से अपील, अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वमोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner